तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज
22/3/17	वकील अपीलांटस उप० पूर्वानुसार तलबीशुदा रिस्पोण्डेन्ट्स के तलबिदा रिकार्ड तलबी हेतु पुनः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 5/5/17 को पेश हो। Si/-
5/5/17	अपीलांटस वकील ~~फरीकैन~~ उप०/ सो० साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 26/5/17 को पेश हों। Si/-
26/5/17	वकील अपीलांटस उप० पूर्वानुसार तलबिदा रिकार्ड [illegible] पत्रावली दि० 23/6/17 को पेश हो। Si/-
23/6/17 राजेश मीणा हुक्म 2151 मीणा	23/6/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुई। रेस्पोण्डेन्ट्स उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। Si/-

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
01/07	अपील नामा0	21.02.07	23.06.17

1. हीरा पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी खिरखिड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली
   - 1/1 राजन्ती बेवा हीरा
   - 1/2 वीना पुत्री हीरा पत्नि ऋषिकेश — जातियान मीना निवासीयान खिरखिड़ी
   - 1/3 मुक्ती पुत्री हीरा पत्नि हेमराज — तहसील सपोटरा जिला करौली।
   - 1/4 गोरन्ती पुत्री हीरा पत्नि रामरूप
   - 1/5 हनुमान पुत्र हीरा
   - 1/6 बलवान पुत्र हीरा
   - 1/7 राजकुमार पुत्र हीरा
2. हेमा पुत्री हल्के जाति मीना निवासी खिरखिड़ी तह0 सपोटरा जि0 करौली।

–अपीलॉट्स

बनाम

1. हुकमसिह पुत्र बच्चू — जातियान मीना निवासीयान खिरखिड़ी
2. राजेश पुत्र बच्चू — तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
3. लोहड़ी बेवा बच्चू
4. सरपंच ग्राम पंचायत लूलौज तहसील सपोटरा जिला करौली।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील वाखिलाफ निर्णय सरपंच ग्राम खिरखिड़ी नामा0 सं0 733 दिनांक 7.6.2006

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प लूलौज मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट्स ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि "सरपंच ग्राम पंचायत लूलौज ने खिलाफे कानून बिना किसी कारण के दर्शाये नामान्तरकरण को खारिज करने मे कानूनी भूल की है जो लायके तवज्जों श्रीमान है। अपील मे दर्ज सजरे की पूर्ण जांच कर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण को भरा जिसकी तुलना सरपंच के समक्ष पेश किया गया परन्तु राजनीतिक रंजिश के कारण वारिसान के आपसी विवाद लिखकर नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया। वारिसान जब सही है तो आपसी विवाद का नोट डालकर सरपंच ग्राम पंचायत लूलौज ने नामान्तरकरण को निरस्त करने मे कानूनी भूल की है जो लायके तवज्जो श्रीमान् है। इसलिए अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 733 ग्राम खिरखिड़ी खारिज किया जाकर अपीलॉण्ट्स के हक मे नामान्तरकरण तस्दीक करवाये जाने के आदेश फरमावे।"

अपील अपीलांट दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट्स आज कोर्ट कैम्प मे उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट्स को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण पुनः दर्ज कर तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाने मे कोई एतराज नही है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की पटवार परत पटवारी लूलौज से तलब की गई। रेस्पोडेन्ट्स को सुना गया तथा पत्रावली एवं नामान्तरकरण पटवार परत का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलॉधीन नामान्तरकरण सं0 733 ग्राम खिरखिड़ी को रेस्पोडेन्ट सं0 4 सरपंच ग्राम पंचायत लूलौज ने वारिसान के बारे मे विवाद होने के कारण खारिज किया है। अब रेस्पोडेन्ट्स को अपील स्वीकार किये जाने एवं पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक किये जाने मे कोई एतराज नही है, नामान्तरकरण अपील को स्वीकार कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर वैध वारिसान के नाम नामा0 तस्दीक किये जाने हेतु सहमत है। साथ ही वारिसान के बीच विवाद के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण खारिज करना न्यायोचित नही है। इसलिए अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। Riy

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ामान्तरकरण संख्या 733 ग्राम खिरखिड़ी दिनांक 07.06.2006 खारिज किया जाता तथा तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि मृतक मूल्या पुत्र मंगल कोम ीना निवासी खिरखिड़ी के वारिसान की विधिवत जांच कर नियमानुसार विधिक ारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करे। निर्णय आज दिनांक 23. 06.2017 को सरे कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लूलौज अटल सेवा केन्द्र मे सुनाया गया। त्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल फ्तर हो।

निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सपोटरा को पालनार्थ भिजवाई ावे।

(राजपाल यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा